न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2018 (उदयपुर डिक्री)

1. मडसिया पिता ढाला, जाति भील, निवासी पाली बड़ी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जवता पिता कीका, जाति भील, निवासी पाली बड़ी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कालू पिता जोगी, जाति भील, निवासी पाली बड़ी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. मुकेश पिता जोगी, जाति भील, निवासी पाली बड़ी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. गणपत पिता धुलिंग (हुवर), जाति भील, निवासी पाली बड़ी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. तहसीलदार, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी सज्जनगढ़ दि0
29.08.2017 प्रकरण संख्या 16/16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस)
1. श्री समर पण्डया अभिभाशक अपीलान्टगण
2. श्री राजीव जोशी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1
3. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2

———:::———

निर्णय **दिनांक 27–06–2022**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] का प्र[illegible] निवेदन किया कि ग्राम पाली बड़ी के सर्वे नंबर 585 र[illegible] 0.5200 [illegible] ने प्रतिवादीगण से विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 18–03–1983 को जरिये पंजीकृत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 200 दिनांक 20–05–1983 को स्वीकृत हुआ, किन्तु राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद नहीं किये जाने से प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनुपस्थित रहने से उनका जवाब बन्द किया जाकर एवं वादी की साक्ष्य लेकर अपने निर्णय दिनांक 29–08–2017 से वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–09–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 24–06–2018 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के वादग्रस्त भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने से उक्त निर्णय की जानकारी हुई, जिसकी नकल अपीलान्ट को दिनांक 14–08–2018 को प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत कर दी। देरी का वास्तविक कारण है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री राजीव जोशी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 18–03–1983 का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह कूटरचित है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा अपने बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है, जिस पर अपीलान्ट का मकान भी बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested

जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक रूप से त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार दिनांक 18–06–1983 कों वादी/ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के पिता ढाला से विवादित आराजी नंबर 585 रकबा 0.5200 हैक्टर भूमि क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिसकी पुष्टि स्वयं वादी के बयानों एवं उसके स्वतंत्र गवाह भाणजी के बयानों से भी होती है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 200 वादी क्रेता के पक्ष में स्वीकृत हुआ है, किन्तु राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद नहीं हो पाने से विरासत से भूमि ढाला के पुत्र अपीलान्ट के खाते दर्ज हो गयी, जिसे अपने खाते दर्ज कराने हेतु वादी को अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना पड़ा। वादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने वाद को पूर्णतया साबित कराया है, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय से वादी का वाद डिक्री किया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–08–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–06–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास ..... **अनीता मीना, आर.ए.एस.** .....

मडसिया पिता ढाला, जाति भील, नि0 पाली बड़ी, तह. सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **गणपत पिता धुलिंग (हुवर) जाति भील, निवासी पाली बड़ी, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**22 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**सज्जनगढ़**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**08**.....**2017**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**06**.....सन् **2022** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री समर पण्डया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री राजीव जोशी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–08–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....**2022** को जारी किया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.07.14 12:43:44 IST
Reason: SelfAttested